166

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ सर्किटकोर्ट रीवा म०प्र०, R. 5136-दो/15

20/- Rs. ...

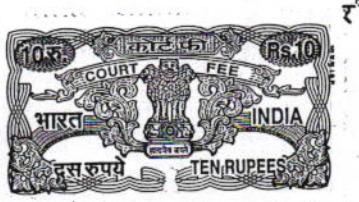

अयोध्या प्रसाद कुशवाहा पिता श्री मोलई कुशवाहा उम्र - 55 साल, पेशा-खेती निवासी ग्राम लेदरा तह० रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र०,

----- निगरानीकर्ता,

श्री हीरालाल वर्मा एड. द्वारा पेश / 30.10.15
कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

देवशरण पिता रघुवर कुशवाहा उम्र - 40 साल, निवासी - ग्राम लेदरा तह० रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र०, --- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय, तह० रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र० के रा० प्र०क्र०- 42ए2 :14-15 आदेश दिनांक 17-8-2015,

आराजी नं. - 392/2 रकवा 0.016 हे. स्थित मौजा लेदरा पट०हल्का कर्पवाह रा. नि. मं. चोरहटा, तह० रामपुर बाघेलान जिला सतनाम०प्र०

मान्यवर,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा०सं० 1959ई.

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं :-

1- यह कि आवेदक /निगरानी कर्ता आराजी नं. - 390,391 एवं 393 स्थित मौजा लेदरा पट० हल्का कर्पवाह रा. नि. मं. चोरहटा, तह० रामपुरबाघेलान जिला सतना म०प्र० में स्थित है, जिसका भूमि स्वामी / राजस्वअभिलेखों में दर्ज है।

2- यह कि आवेदक के आराजी के बगल में ही देवशरण पितारघुवर कुशवाहा की आराजी नं. - 392/2 रकवा 0.016 स्थित है। अनावेदक /गैरनिगरानी कर्ता द्वारा अपने स्वत्व की आराजी नं. - 392/2 रकवा 0.016 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महो० तह० रामपुर बाघेलान में दिनांक 10-5-15 को प्रस्तुत किया गया था।

क्र:

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-5136-D1./15 जिला ...सतना.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.3.16	मैंने प्रकरण में अविदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया। इसके प्रकाश में मैं निम्न बिन्दु प्रकरण में प्रमुखता से टीप एवं विचार योग्य पाता हूँ :— (क) गै.निगरानीकार के सीमांकन आवेदन दि. 6.7.15 में यह स्पष्ट लिखा है कि वे आ.न. 392 रकबा 0.032 है. के भुज रकबा 0.016 है के भूमिस्वामी है, जिसका वे सीमांकन कराना चाहते है। अतः निगरानीकार का यह कहना सही नहीं है कि गै.निग. ने आ.न. 392 के पूरे रकबे के सीमांकन का आवेदन दिया था। (ख) गै.निग. ने आ.न. 392 के जिस भाग का सीमांकन चाहा है, उस भाग की मौके पर सीमांकन के पूर्व पृथक प्रकरण और कार्यवाही के माध्यम से तरमीम नहीं हुई थी। (ग) दि. 27.6.15 को व्यवहार वाद का आधार मानकर सीमांकन अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता क्योंकि (1) निगराकार के संबोधित आवेदन दि. 17.5.15 में इस वाद की आगामी पेशी दि. 23.6.14 नियत होनी लिखी है जो कि एक पुरानी दिनांक है, और (2) व्य. न्या. का या अन्य कोई सक्षम स्थगन आदेश ना तो निगराकार ने उपलब्ध कराया, ना प्रकरण में देखा जा सकता था कहीं भी संदर्भित है।	
	(4) निगराकार का यह कहना गलत है कि उन्हें सीमांकन की जानकारी नहीं रही क्योंकि उन्होंने आपत्ति भी की है, समय-समय पर मौका कार्यवाही में उनके पुत्र ने बाधा भी उत्पन्न की है, सूचना पत्र दि. 7-8-15 में लिखा है कि निगराकार ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया, और इस सबके बावजूद वे वास्तविक की दि. 8-8-15 को मौके पर नहीं रहे।	
	(5) पंचनामा दि. 8-8-15 और संबोधित प्रतिवेदन में लिखा है कि निगराकार ने गै.निग. की भूमि 342/2 के रकबे पर धान बोकर उसे दबाया हुआ है।	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 5136-दो/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त के प्रकाश में मैं तहसीलदार रामपुरबाघेलान को निम्न निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त करता हूं:- (एक) वे गैरनिगरानीकार की भूमि आन. 392/2 की नक्शा-तरमीम पहले विधिवत करें। इसके बाद ही वे उनकी भूमि का सीमांकन करें। (दो) प्रकरण में यदि कोई सक्षम न्यायालय का स्थगनादेश नहीं हो तो सीमांकन आदि की कार्यवाही बिलकुल नहीं रोकी जाए। (तीन) सभी सरहदी कृषकों / हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना और पक्षसमर्थन का अवसर दिया जाए। (चार) तहसीलदार उपरोक्त समस्त कार्यवाही, उन्हें रा. मं. के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 2 माह के भीतर, पूर्ण करें, जिसमें तरमीम के अतिरिक्त सीमांकन की समस्त कार्यवाही भी पूर्ण हो।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तहसीलदार को उक्त निर्देशों के साथसाथ मैं पक्षकारों, विशेषकर निगरानीकार को भी यह निर्देश देता हूँ कि वे उन्हें रा.मं. के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 1 सप्ताह में या तहसीलदार द्वारा नियत दिनांक को, जो भी पहले हो, तहसीलदार [illegible] के समक्ष उपस्थित हों, और प्रत्येक उस दिनांक और स्थान पर तब तक अनिवार्यतः उपस्थित होते रहें जब तक तहसीलदार की निर्देशित समूची कार्यवाही पूरी नहीं हो जाए। यदि वे ऐसा करने में बगैर समुचित कारण के चूकते हैं, तो तहसीलदार उन्हें न्यूनतम आवश्यक अवसर देते हुए कार्यवाही आगे बढ़ाने और पूरी करने / कराने का निर्णय के लिए मुक्त होंगे, जिस संबंध में जवाबदेही अनुपस्थित रहने वाले पक्षकार की ही होगी। यह निर्देश इस लिए इतनी स्पष्टता और कठोरता से दिया रहे हैं क्योंकि निगरानीकार या उनके पक्ष ने पूर्व में अनेक बार मौके की कार्यवाही को जबरन बाधित किया है। अब ऐसी जबरन बाधा को रोकने के लिए यदि पुलिस सहायता	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R5136/दो/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	या प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की आवश्यकता हो तो वह भी आवश्यकतानुसार तहसीलदार करें। उक्त निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा.मं. से समाप्त किया जाता है। आदेश पारित। पक्षकार एवं तहसीलदार, रामपुरबाघेलान सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो। 4.3.16 (सदस्य)	